



## षोडश बिहार विधान सभा

पंचदश सत्र

### ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-02.03.2020 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4

- श्री संजय सरावगी,  
संवि०स०  
श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह,  
संवि०स०  
श्री नितिन नवीन,  
संवि०स०  
श्री सत्यनारायण सिंह,  
संवि०स०  
श्री अवधेश सिंह,  
संवि०स०  
श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव,  
संवि०स०  
श्री अशोक कुमार सिंह,  
संवि०स० (क्षेत्र सं०-224)  
श्री तारकिशोर प्रसाद,  
संवि०स०  
श्री अरुण कुमार सिन्हा,  
संवि०स०

राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत में दैनिक मजदूरी पर कार्यरत लगभग 35000 दैनिक सफाई कर्मचारी एवं दैनिक चतुर्थवर्गीय कर्मचारी की सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा दिनांक-31.01.2020 को समाप्त करने के निर्णयोपरान्त इन कर्मियों द्वारा हड़ताल पर चले जाने से राज्य भर में न केवल गंदगी का अम्बार लगा था, बल्कि इन कर्मियों के परिवारों के समक्ष भुखमरी की समस्या भी उत्पन्न हो गयी थी। तदोपरान्त राज्य सरकार द्वारा इनकी सेवा अवधि को 31 मार्च, 2020 तक ही बढ़ाया गया है। इससे इनके मन में भविष्य के लिए बेचैनी और घबराहट है।

नगर विकास एवं  
आवास

अतः राज्यहित में इन दैनिक पारिश्रमिक कर्मियों की सेवा को स्थायी करते हुए इन्हें वेतनमान दिये जाने के लिए हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

2. श्री शिवचन्द्र राम,  
संवि०स०  
श्री सुरेन्द्र कुमार,  
संवि०स०  
श्री रवींद्र सिंह,  
संवि०स०  
श्री रामदेव यादव,  
संवि०स०

वैशाली जिला सहित राज्य के सभी जिला में समाज कल्याण वृद्धावस्था पेंशन योजना चलाई जा रही है, जिसमें 80 वर्ष से ऊपर उम्र वालों को 500 रुपये और 80 वर्ष से नीचे उम्र वाले को 400 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। वृद्ध व्यक्ति बैंक में पैसे लेने जाते हैं तो उनसे फिंगर प्रिंट मशीन में अंगूठा लगवाया जाता है। अधिक उम्र होने की वजह से अंगूठा में शक्ति नहीं मिल पाने के कारण प्रिंटर मशीन में अंगूठा का सही चिह्न नहीं दिखाई पड़ने के कारण उन्हें पैसे से वंचित कर दिया जाता है। फिर वे निराश होकर वापस लौट जाते हैं।

अतएव फिंगर प्रिंट मशीन में अंगूठा का निशान नहीं मिलने पर भी पेंशन की राशि के भुगतान की वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय  
सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/20- 610 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2020 ई०।  
प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / नगर विकास एवं आवास विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(उदय कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-05/20- 610 / वि०स०, पटना, दिनांक- 28 फरवरी, 2020 ई०।  
प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं प्रधान आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

(उदय कुमार सिंह)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।